सेवा में,

श्रीमान् अंचलाधिकारी
कोडरमा अंचल ।

विषय :– भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के सबधं में ।

K.C.U.D.A
21/03/17

महाशय,

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं गंगा देवी पत्नि – स्व० शंभु पाण्डे

ग्राम मडुआटांड पो० झुमरी तिलैया थाना तिलैया

जिला कोडरमा का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :–

1. मौजा सोरियाबा
2. थाना तिलैया
3. थाना न0 02
4. खाता न0 18
5. प्लॉट न0 1579
6. रकवा 22 डि०
7. भूमि का किस्म रैयती
8. अधतन रसिद न0 0819199883
9. दा0 खारिज वाद संख्या

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि के निबंधन (रजिस्ट्री) हेतू सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मै श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा ।

विश्वासभाजन गंगा देवी

अग्रोल जी
88
22/3/17

न्यायालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या :–......158../2023

21.3.23

आवेदिका गंगा देवी, पति–स्व0 शम्भु पाण्डेय, ग्राम–मडुआटांड़, पोस्ट–झुमरी तिलैया, थाना–तिलैया, जिला–कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :–

मौजा	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	किस्म
मोरियांवाँ	02	18	1579	22 डी0	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ हीं आम इस्तहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक ....28..../....03..../2023 को प्रस्तुत करें।

21/03/23

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

28.03.23
8.4.23

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–मोरियांवाँ, थाना नं0–02 के ऑनलाईन पंजी–II के पृ0सं0–09 भाग संख्या–04 पर खाता नं0–18, प्लॉट नं0–1579, रकवा–55 डी0 भूमि महादेव पाण्डेय, पिता–घनश्याम पाण्डेय के नाम से ऑनलाईन जमाबंदी दर्ज है। उक्त भूमि केवाला संख्या–17566 दिनांक 22.08.1970 के द्वारा हासिल है। अंतिम लगान रसीद वर्ष 2022–23 तक निर्गत है। उक्त भूमि रैयती खाते की है। शपथ पत्र संख्या–121 एवं 124 दिनांक 03.03.2023 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा–मोरियांवाँ, थाना नं0–02 के ऑनलाईन पंजी–II के पृ0सं0–09 भाग संख्या–04 पर खाता नं0–18, प्लॉट नं0–1579, रकवा–55 डी0 भूमि मधे रकवा–22 डी0 भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत् निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

08/04/23

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.09.16 13:47:05 +05:30
Location: 192.168.29.246

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।